

SDO

29.05.2024  
Not Press



पत्रावली पेश हुई। वकील पराकार उपस्थित।  
प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार  
सीमलवाड़ा का प्रकरण सं. 01/2022 दर्ज  
होकर अन्याय गीतादेवी व अन्य बनाम  
रामचंद्र व अन्य अंतर्गत धारा 183 की  
राज. काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण,  
दिनांक 19.05.2023 को तहसीलदार  
सीमलवाड़ा द्वारा निर्णित किया जा चुका  
है। वकील वादीया द्वारा न्यायालय की  
कार्यवाही से संतुष्ट होकर प्रकरण को  
नोट-प्रेस कर आगे कार्यवाही नहीं करवाना  
चाहें। वकील वादी द्वारा प्रकरण नोट-प्रेस  
कर कार्यवाही नहीं चाहते से प्रकरण खारिज  
किया जाता है। पत्रावली फॉरवर्ड शुमार  
होकर दाखिल दफ्तर होवे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाड़ा